क्रम-संख्या—159 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 सितम्बर, 2024

भाद्रपद 22, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग—9

संख्या 1864/छः-पु0-9—2024
लखनऊ, 13 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

प0आ0—252

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49 सन् 1988) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित जारी सरकारी अधिसूचना के क्रम में राज्यपाल, नीचे अनुसूची के स्तम्भ—3 में उल्लिखित अपर जिला न्यायाधीश को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अपराधों, जिनमें एतद्पश्चात् भारत सरकार के विशेष पुलिस अधिष्ठान द्वारा उनके न्यायालय में आरोप—पत्र दाखिल किये जायें, के विचारण के लिये उक्त अनुसूची के स्तम्भ—4 में उल्लिखित न्यायालय के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती हैं और यह निदेश देती हैं कि उक्त क्षेत्र के भीतर उद्भूत होने वाले ऐसे अन्य मामलों का, जिनमें उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप—पत्र पहले ही दाखिल कर दिये गये हों और उक्त क्षेत्र के भीतर उद्भूत होने वाले उक्त विशेष पुलिस अधिष्ठान से संबंधित ऐसे अन्य मामलों का भी, जो ऐसे किसी विशेष न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन हों, विचारण और निस्तारण भी उनके द्वारा किया जायेगा और उनका न्यायालय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध के रूप में अभिहित किया जायेगा।

राज्यपाल अग्रतर नीचे अनुसूची के स्तम्भ—3 में उल्लिखित विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, में कार्यरत अधिकारी को, समस्त और साथ ही साथ ऐसे मामलों, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ—4 में यथा उल्लिखित अधिकारिता न्यायालय के लिए भविष्य में दायर किये जा सकते हैं, का निस्तारण करने के लिये तत्काल प्रभाव से सशक्त करती हैं; और भविष्य में, उक्त विशेष न्यायालय के पदधारी द्वारा प्रभार का त्याग किये जाने पर पद में उनके उत्तरवर्ती समस्त और साथ ही साथ ऐसे मामलों जो, उक्त अनुसूची के स्तम्भ—4 में यथा उल्लिखित अधिकारिता न्यायालय के लिए भविष्य में दायर किये जा सकते हैं, का विचारण और निस्तारण करेंगे।

अनुसूची

क्रम-संख्या	जिला का नाम	संस्तुत अधिकारी के नाम	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय हेतु संस्तुत
1	2	3	4
1	बरेली	1—श्री कमलेश्वर पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	कोर्ट नं0 2
2	गोरखपुर	1—श्री सिद्धार्थ सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	कोर्ट नं0 2
		2—श्री ओंकार शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	कोर्ट नं0 3
3	लखनऊ	1—श्री अतुल सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	कोर्ट नं0 6
		2—श्री आशीष कुमार चौरसिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	कोर्ट नं0 7
		3—श्री नीरज कुमार बरनवाल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	कोर्ट नं0 8
4	वाराणसी	1—श्री अवधेश कुमार—II अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	कोर्ट नं0 1
		2—श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	कोर्ट नं0 4

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

———————

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1864/VI-P-9–2024, dated September 13, 2024:

No. 1864/VI-P-9–2024

Dated Lucknow, September 13, 2024

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 and sub-sections (2) of section 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act no. 49 of 1988), (hereinafter referred to as the "said Act") *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in continuation of the Government notification issued in this behalf, the Governor is pleased to appoint, from the date of their taking over charge, the Additional District Judge mentioned in Column-3 of the Schedule below as Special Judge for the Court mentioned in Column-4 of the said Schedule for trial of such offences as specified in sub-section (1) of section 3 of the said Act in which hereinafter charge sheets are filed in their Courts by Special Police Establishment of the Government of India, and to direct that such other cases arising within the said areas in which charge sheets have already been filed before any other Special Judge appointed under the said Act and also such other cases arising within the said area relating to the said Special police Establishment which are pending before such a Special Judge, shall also be tried and disposed of by them and their Court shall be designated as Special Court, Anti Corruption.

The Governor is further pleased to empower the officer mentioned in Column-3 of the Schedule below, holding the Special Court, Anti Corruption to dispose of all the pending cases as well as cases which may be filed in future for the Court of jurisdiction as mentioned in Column-4 of the said Schedule with immediate effect and in future, upon relinquishing the charge by the incumbent of the said Special Court, his successor in office will try and dispose all pending cases all as well as cases which may be filed in future for the Court of jurisdiction as mentioned in Column-4 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. no.	Name of district	Name of the recommended Officers	Recommended for Special Court of Prevention of Corruption Act
1	2	3	4
1	Bareily	1. Sri Kamleswar Pandey, AD & S.J.	Court No. 2
2	Gorakhpur	1. Sri Siddharth Singh, AD & S.J.	Court No. 2
		2. Sri Omkar Shukla, AD & S.J.	Court No. 3
3	Lucknow	1. Sri Atul Singh, AD & S.J.	Court No. 6
		2. Sri Ashish Kumar Chaurasia, AD & S.J.	Court No.7
		3. Sri Niraj Kumar Baranwal, AD & S.J.	Court No. 8
4	Varanasi	1. Sri Awadhesh Kumar-II, AD & S.J.	Court No. 1
		2. Sri Ravindra Kumar Srivastava, AD & S.J.	Court No.4

By order,
DEEPAK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 269 राजपत्र–2024–(702)–599+25=624 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

269 RPH (Grih Police Anu.-9) 2024 Data 4e